वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर

प्रेषक,

संख्या : 771 /XVII (1)-3/06-07(55)/2006

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-3

देहरादून : दिनांक 08 अगस्त, 2006

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या-15 के आयोजनेत्तर पक्ष की गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 561/XVII (1)-3/06-07 (55)/2006 दिनांक 06 मई 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या-15 के आयोजनेत्तर पक्ष की गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद मद में प्राविधानित धनराशि में से रु0 1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
2. आय व्यय द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाय।
3. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।
4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लें कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षकों को अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से "अनुदान संख्या 15" तथा "आयोजनेत्तर" शब्द स्पष्ट लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
5. वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित करें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से शासन को भी अवगत कराया जाय।
6. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनि[illegible] किया जाय।

fehe ffmaeal

8. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो, तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

10. समस्त चालू निर्माण कार्य, नये निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलब्ध करायें।

11. बी0एम0-13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक की "अनुदान संख्या-15" के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2250-अन्य सामाजिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-00-800-अन्य व्यय-04-अल्पसंख्यक आयोग का अधिष्ठान-04-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद" की सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 76/XXVII-3/2006 दिनांक 05 अगस्त, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या 775 (1)/XVII (1)-3/06-07(55)/2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन।
3. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तरांचल।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तरांचल, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तरांचल।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, उत्तरांचल।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन।
10. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तरांचल सचिवालय देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल देहरादून।
13. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(उषा शुक्ला)
अपर सचिव।